उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2

संख्याः–679/XXX (2) 2009
देहरादून : दिनांक जून 22 2009

अधिसूचना संख्या 679/XXX (2) 2009 दिनांक जून, 2009 को प्रख्यापित उत्तराखण्ड सरकाकरी सेवक ज्येष्ठता (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2009 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी ।
4. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड ।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ/समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड ।
7. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड ।
8. निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल ।
9. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड हरिद्वार ।
10. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून ।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
12. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
13. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की, हरिद्वार को नियमावली की हिन्दी प्रति संलग्न करते हुए इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया नियमावली को असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–क में मुद्रित करा कर इसकी 200 प्रतियॉ कार्मिक अनुभाग–2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

आज्ञा से,

(शत्रुघ्न सिंह)
सचिव ।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या 679/XXX (2)/2009
देहरादूनः दिनांक 22 जून, 2009

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2009

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1– (i) यह नियमावली उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2009 कही जायेगी।

(ii) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

नये नियम का बढ़ाया जाना

2– उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 में नियम–8 के पश्चात निम्नलिखित नया नियम "8 क" बढ़ा दिया जायेगा अर्थातः–

उत्तराखण्ड राज्य को अंतिम रूप से आवंटित कार्मिक की उ.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा–74 की उपधारा (1) के 'परन्तुक तथा धारा 75 के अधीन दिनांक 9.11.2000 से पूर्व की प्रास्थिति की हकदारी।

8 क– इस नियमावली के नियम 6,7 या 8 में किसी बात के होते हुए भी, 'उ.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000' की धारा–73 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य को अंतिम रूप से आवंटित कार्मिक, उत्तराखण्ड राज्य के गठन की तिथि 9.11.2000 से ठीक पूर्व अर्थात दिनांक 8.11.2000 को जिस पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अथवा नियमित रूप से पदोन्नत था, को इस कारण पदावनत नहीं किया जायेगा कि उससे, वरिष्ठ कार्मिक पदोन्नत नहीं हो सके है और न ही ऐसा वरिष्ठ कार्मिक ज्येष्ठता के आधार पर नोशनल पदोन्नति का हकदार होगा। उत्तराखण्ड को अंतिम रूप से आंवटित सभी कार्मिक दिनांक 9.11.2000 के उपरान्त रिक्त उच्चतर पदों पर तभी पदोन्नति प्राप्त कर सकेंगे जब वह सम्बन्धित सेवा

नियामवली में निर्धारित अर्हता वास्तविक रूप से धारण करते हों भले ही उनसे कनिष्ठ कार्मिक दिनांक 9.11.2000 से ठीक पूर्व तत्समय प्रवृत्त किन्हीं नियमों के अधीन नियमित रूप से उच्चतर पद पर पदोन्नति प्राप्त कर चुका हो।

आज्ञा से,

(शत्रुघ्न सिंह)
सचिव।